न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील नम्बर 157/2013(जीसीएमएस नम्बर 2009/00007)

1. चिरंजी पुत्र स्व. श्री नंगा, जाति कोली निवासी ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज.।

अपीलान्ट

बनाम

1. रमूली पुत्री स्व. श्री नंगा स्त्री भगवानदास जाति कोली निवासी ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर जिला अलवर हाल कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर राज.।
2. भीमा पुत्र स्व. नंगा जाति कोली निवासी ग्राम बहरामपुर
3. रूपा पुत्र स्व. नंगा जाति कोली निवासी ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर निर्णय दिनांक 30.03.2009 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की अपील बेजा–तोर पर स्वीकार की बमुराद मनसुखी उक्त आज्ञा एवं स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट।

उपस्थित–

1. श्री मूलचन्द चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2 श्री भगवतराम कोली, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अनुपस्थित।
3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 17.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2009 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.11.2009 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पो.नं. 1 रमूली पुत्री स्व. नंगा पत्नि भगवानदास ने तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 22.02.1992 बाबत इन्तकाल संख्या 703 वाके ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां अपील पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2009 से अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई तथा तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 22.02.1992 बाबत इन्तकाल संख्या 703 वाके ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक नंगा के विधिक वारिसान की जॉच कर विरासत के इन्तकाल के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये जावें।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 30.03.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट चिरंजी पुत्र स्व. श्री नंगा द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ यह अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दिनांक 30.03.2009 निरस्त करने एवं इंतकाल संख्या 703 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि तहत न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 30.3.2009 को अपीलान्ट के पीछे से बिना उसे सुने पारित किया जिसकी मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं थी चूंकि मिन अपीलान्ट के वकील साहब ने अपीलान्ट से जेर दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु कागजात पर हस्ताक्षर करा लिये तथा यह आश्वासन दिया कि अब तुम्हे आने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह भी कहा कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी सूचना देकर बुलवा लिया जावेगा तथा मेरी ओर से पैरवी करने का विश्वास दिलाया जिस पर मिन अपीलान्ट निश्चित हो गया। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 30.10.2009 को हुई जब कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) तहसील कठूमर जिला अलवर का नोटिस कमांक/भू अभि0/09/2930 दिनांक 27.10.2009 प्राप्त हुआ। जिस नोटिस को मिन अपीलान्ट ने अपने वकील साहब को ले जाकर दिखाया और जानकारी की तो वकील साहब ने पत्रावली देख कर बताया कि रेस्पोडेन्ट रमूली द्वारा की गई अपील का निर्णय तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2009 को रेस्पोडेन्ट रमूली के पक्ष में कर दिया है तथा उक्त निर्णय की अपील करने की सलाह दी और बताया कि इसकी अपील अलवर में होगी। मिन अपीलान्ट अलवर में आया और वकील साहब से बातचीत की तथा वकील साहब ने समस्त दस्तावेजातों की नकल प्राप्त करने हेतु कहा जिस पर मिन अपीलान्ट रूपयों का इंतजाम करने लग गया तथा दिनांक 9.11.2009 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल उसी दिन सांयकाल प्राप्त हुई। उसके पश्चात वकील साहब का दस्तावेज दिखाया तो बताया कि यह अपील न्यायालय श्रीमान में होगी तथा अपना खर्चा भी बताया और अपीलान्ट ने रूपयों का इंतजाम किया जिससे अपील आज अविलम्ब जानकारी की तारीख 30.10.2009 से अदर मयाद पेश की जा रही है जो देरी हुई है वह जेर दफा–5 कानून मियाद के तहत माफ किये जाने योग्य है। तहत न्यायालय ने दस्तावेज राजस्व रिकार्ड का गौर पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। रमूली द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है तथा इंतकाल संख्या 703 दिनांक 22.02.1992 को स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल रेस्पोडेन्टान की सहमति से हुआ है जिसकी जानकारी बखूबी उसी समय रेस्पोडेन्ट सं0 1 को थी। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट रमूली न जानबूझकर बदनियति देरी से अपील दायर की है। रेस्पोडेन्ट रमूली द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के यहां एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व बाद संख्या 1/53/2007 प्रस्तुत किया जिसमे विवादित इंतकाल संख्या 703 को भी चैलेन्ज किया गया था। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2007 को खारिज कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि रमूली को उक्त इंतकाल की पूर्ण जानकारी पूर्व से ही थी रमूली ने उक्त वाद जो कि खारिज हो गया था के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की है। रमूली रेस्पो. ने तहत न्यायालय को गुमराह किया है तथा उसने उक्त तथ्यों को छुपाया है। और विधिविरूद्ध अपील प्रस्तुत्त की है। रेस्पोडेन्ट रमूली ने अपने अधिकार तय करने बाबत जब पूर्व में ही दावा अन्तर्गत धारा 88. 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। उसमे विवादित इंतकाल के बाबत भी एतराज किया और वाद पत्र 19.12.2007 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि उसका किसी प्रकार से हिस्सा बनता है या वारिस हो ऐसी स्थिति में उक्त अपील विरुद्ध इंतकाल संख्या 703 चलने योग्य नहीं थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नही आये इसलिए उक्त अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 30.03.2009 निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि रमूली का विवाह काफी समय पहले हो गया था तथा वह डीग में रहती है तथा उसका कोई कब्जा भी मौके पर नहीं है। ना ही आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना है लेकिन गलत तौर पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार तहसीलदार महोदय उक्त इंतकाल बाबत रमूली का नाम दर्ज करने पर उतारू है। जिससे मिन अपीलान्ट के अधिकार जायल होगें। इसलिए यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.3.2009 निरस्त फरमाया जावे एव इंतकाल सख्या 703 यथावत रखा जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 09.11.2009 को आवेदन किया जिसकी नकल तैयार की जाकर दिनांक 09.11.2009 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में रमूली द्वारा धोषणा खातेदारी का दावा 1/53/2007 उनवानी रमूली बनाम चिरंजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के यहॉ पेश किया जो उपखण्ड अधिकारी ने मेन्टेनेबल नहीं होने एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया। उक्त दावे के निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 703 जिसे प्रश्नगत अपील में चुनौती दी गई है का ब्यौरा भी उपलब्ध है। जब दावे का निर्णय रमूली के पक्ष में नहीं हुआ तो रमूली को उक्त दावे में हुये निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी जो नहीं की गई। तथा दावे के तथ्यों को अंकित नहीं कर नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गई। जब धोषणा का दावा खारिज हो गया तो नामान्तरकरण में कोई भी परिवर्तन किया जाना न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उपरोक्त दावे का विवरण उपलब्ध नहीं है। जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे की जानकारी के अभाव में निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2009 विधिवत नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई एवं रमूली द्वारा उपखण्ड अधिकारी कठूमर में प्रस्तुत किये गये दावा संख्या 1/53/2007 उनवानी रमूली बनाम चिरंजी में हुये निर्णय के आलोक में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2009 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई एवं रमूली द्वारा उपखण्ड अधिकारी कठूमर में प्रस्तुत किये गये दावा संख्या 1/53/2007 उनवानी रमूली बनाम चिरंजी में हुये निर्णय के आलोक में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर